दिनांक 12.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 14/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकंदरा

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11.02.2025 को थाना सिकंदरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–विवेक 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विवेक के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी के आधा दर्जन अभियोग एवं अभियुक्ता के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकंदरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विवेक निवासी बल्लाजी का कारखाना गधापाडा थाना छत्ता कमिश्नरेट आगरा।

2–अभियुक्ता।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार

- **10–10 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 लाख 250 रूपये नगद**
- **सोने के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 11.02.2025 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सीओडी ग्राउण्ड के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों

1–लाखन 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 04 लाख 250 रूपये नगद, सोने के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 10–10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लाखन निवासी केशरा मैना का नगला थाना नदबई जनपद भरतपुर राजस्थान।

2–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–04 लाख 250 रूपये नगद।

2–सोने के आभूषण आदि।

जनपद बरेली/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण**
- **07 हजार 400 रूपये नगद**
- **चोरी करनें के उपकरण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांकः 12.02.2025 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इस्लामिया ग्राउण्ड में बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1– गुलहसन घायल हो गया, जिसे

अभियुक्त 2–सैफ 3–नन्हे अली 4–इरशाद 5–मो0 सोनू 6–सद्दाम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण, 07 हजार 400 रूपये नगद, चोरी करनें के उपकरण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त गुलहसन के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़, जौनपुर, रामपुर, बदायूं व बरेली के विभिन्न थानों पर चोरी हत्या का प्रयास आबकारी एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलहसन निवासी ग्राम हमीदाबाद थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

2–सैफ निवासी ग्राम हमीदापुर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

3–नन्हे अली निवासी ग्राम इंचौरा थाना पटवाई जनपद रामपुर।

4–इरशाद निवासी ग्राम समौधिया थाना स्वार जनपद रामपुर।

5–मो0 सोनू निवासी ग्राम हमीदापुर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

6–सद्दाम निवासी ग्राम हमीदापुर थाना बिलासपुर जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण

2–07 हजार 400 रूपये नगद

3–चोरी करनें के उपकरण

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांकः 11/12.02.2025 की रात्रि थाना सिकन्द्राबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिल्सूरी इस्माईलपुर रोड स्थित ईंट भट्टा से आगे चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त ईश्वर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– ईश्वर निवासी ग्राम सलेमपुर कायस्थ थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **जनपद बलिया/थाना उभांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना उभांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अंचल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना अरनिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 19 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना अरनिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामबाबू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 19 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना फ्रेंड्स कॉलोनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 02 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामजी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 02 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टीएफ0–जनपद प्रतापगढ़ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलमान गिरफ्तार।</u>

दिनांकः 12–02–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना महेषगंज, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2023 धारा 392 भादवि में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी सलमान को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

सलमान पुत्र अब्दुल हमीद, निवासी कोला का बन, थाना लालगंज, प्रतापगढ़। (उम्र–21 वर्ष)

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–</u>

रामनगर पुलिया के पास ग्राम रेवती रामनगर जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 12–02–2025 समय 01:05 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री राहुल परमार के नेतृत्व में मु0आ0 पुष्पेन्द्र सिंह, मु0आ0 अरविन्द सिंह, देवेष द्विवेदी, अषोक राजपूत, आरक्षी सत्यम यादव चालक धर्मेन्द्र प्रताप की एक टीम जनपद प्रतापगढ़ में भ्रमणषील थी। इस दौरान सूचना मिली कि थाना महेषगंज, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2023 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी सलमान रामनगर पुलिया के पास किसी से मिलने वाला है। प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान ने पूछताछ पर बताया कि वह ट्रक ड्राइवरी का कार्य करता है। अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्ष–2020 में चोरी की घटना में थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ से जेल गया था। जिसके बाद वह अपने साथियों के साथ मिलकर कई चोरी व लूट की घटनाएं किया। दिसम्बर–2023 में अपने साथी दिलशाद, ववील व दो अन्य के साथ मिलकर महेशगंज थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से गाड़ी, मोबाइल व रूपये लूटा था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना महेशगंज प्रतापगढ़ में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें यह फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित था। जनपद–प्रतापगढ़ एवं रायबरेली में चोरी/लूट की

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः–</u>

1– मु0अ0सं0 398/2018 धारा 387/506 भादवि थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

2– मु0अ0सं0 70/2023 धारा 392 भादवि थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

3– मु0अ0सं0 267/2022 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना सागीपुर, प्रतापगढ।

4– मु0अ0सं0 31/2021 धारा 2/3 गैग0 एक्ट थाना उदयपुर प्रतापगढ़।

5– मु0अ0सं0 177/2020 धारा 411/413 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

6– मु0अ0सं0 74/2021 धारा 353/307/504/332 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना डीह जनपद रायबरेली।

7– मु0अ0सं0 75/2021 धारा 307/504/332/353/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना डीह जनपद रायबरेली।

8– मु0अ0सं0 139/2021 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना डीह, रायबरेली।

9– मु0अ0सं0 173/2023 धारा 308/411/457 भादवि थाना सलोन, रायबरेली।

10– मु0अ0सं0 171/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सलोन, रायबरेली।

11– मु0अ0सं0 74/2022 धारा 380/411 भादवि थाना अमेठी, रायबरेली।

12– मु0अ0सं0 79/2022 धारा 379/411 भादवि थाना अमेठी, रायबरेली।

13– मु0अ0सं0 108/2022 धारा 379/411 भादवि थाना अमेठी, रायबरेली।

14– मु0अ0सं0 18/2024 धारा 392/504/506 भादवि थाना लालगज, प्रतापगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2023 धारा 392 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————